कार्यालय – उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, लखनऊ।

(पता – द्वितीय तल, लेखराज मार्केट–2, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016)

पत्रांकः–यू.पी.पी.सी. / 7453 लखनऊ , दिनांकः–07 / 12 / 2024

प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ

Friendly,

उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउन्सिल में फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 19 के खण्ड (ख) और धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उ0 प्र0 शासन द्वारा 05 सदस्य श्री श्रवण कुमार, श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री अनिल प्रताप सिंह, श्री अजय कुमार सिंह एवं श्री श्याम नरेश दूबे को सरकारी गजट अधिसूचना संख्या 85 / पॉच–7–2024 दिनांक 21 नवम्बर 2024 द्वारा नामित किया गया है। सभी नामित सदस्यों को बधाई एवं मा0 मुख्यमंत्री, मा0 उपमुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवायें, निदेशक पैरामेडिकल का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित कर रहे है।

07/12/2024

(रमेश चन्द्र श्रीवास्तव)
विशेषकार्याधिकारी / नामित सदस्य
उ0 प्र0 फार्मेसी कौंसिल
लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

क्रम-संख्या–195(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 नवम्बर, 2024

कार्तिक 30, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग—7

संख्या 85/पांच-7—2024

लखनऊ, 21 नवम्बर, 2024

अधिसूचना

प0आ0—311

भेषजी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 8 सन् 1948) की धारा 19 के खण्ड (ख) और धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउन्सिल का, नामांकन के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिये अथवा जब तक उसके उत्तराधिकारी का सम्यक् रूप से नामांकन न कर दिया जाय, जो भी अधिक हो, सदस्य नामित करती हैं।

2—राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जायेगी।

अनुसूची

क्रम सं0	नाम व पता
1	2
1	श्री श्रवण कुमार, फार्मासिस्ट, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ।
2	श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, चीफ फार्मासिस्ट, सी0एम0एस0डी0 स्टोर, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3	श्री अनिल प्रताप सिंह, फार्मासिस्ट, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
4	श्री अजय कुमार सिंह, फार्मासिस्ट, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर।
5	श्री श्याम नरेश दुबे, फार्मासिस्ट, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी।

आज्ञा से,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,

प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 85/Paanch-7-2024, dated November 21, 2024:

No. 85/Paanch-7-2024
Dated Lucknow, November 21, 2024

In exercise of the power conferred by the Section 19(kha) and Sub-section (1) of Section 25 of Pharmacy Act, 1948 (Act no. 8 1948), the Governor appoints the persons mentioned in the Schedule below as Uttar Pradesh Pharmacy Council, on the date of nomination nominates members for a term of five years or until his successor is duly nominated, whichever is longer.

2. The Governor further directs that this notification will be published in *Gazette*.

SCHEDULE

Serial No.	Name and Address
1	2
1	Shri Shrawan Kumar, Pharmacist, Dr. Shyama Prasad Mukherjee (Civil) Hospital, Lucknow.
2	Shri Ramesh Chandra Srivastava, Chief Pharmacist, CMSD Store, Swasthya Bhawan, Lucknow.
3	Shri Anil Pratap Singh, Pharmacist, Office Chief Medical Officer, Barabanki.
4	Shri Ajay Kumar Singh, Pharmacist, Netaji Subhash Chandra Bose District Hospital, Gorakhpur.
5	Shri Shyam Naresh Dubey, Pharmacist, Office Chief Medical Officer, Mainpuri.

By order,
PARTHA SARTHI SEN SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 362 राजपत्र–2024–(899)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा0 चिकित्सा–2024–(900)–500 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

362 RPH (Chikitsa) Anu.-7-2024-data-4 e

Scanned with OKEN Scanner